समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या :........................./सम्ब./2019

दिनांक :.................................

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषयः–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 सन 2016) की धारा 32 (1) एवं धारा 32 (2) के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगजन के लिये प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण एवं ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–644/सत्तर–1–2019–यू0ओ0/2019 दिनांक 09.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश के कम में महाविद्यालय में दिव्यांगजनों को सभी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत से अनाधिक सीट आरक्षित किये जाने तथा ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 सन 2016) की धारा 32 (1) एवं धारा 32 (2) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(वी0पी0 कौशल)
प्रभारी कुलसचिव

संख्या : Af/1923-24 दिनांक : 19.8.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

Bmishra

(डॉ0 भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

संख्या– 644 /सत्तर–1–2019–यू0ओ0 15/

प्रेषक,

डॉ0 अमित भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 01 जुलाई, 2(

विषय:– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) धारा 32 (1) एवं धारा 32 (2) के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थाओ में दिव्यांगजन के लिये प्रवेश हेतु सीटो का आरक्षण एवं ऊपरी आयु सीम छूट अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49 सन् 2016) की धारा 32(1) धारा 32(2) के प्राविधान निम्नवत् उद्धरित हैं :–

> 32. (1) All Government institutions of higher education and other higher education instituti receiving aid from the Government shall reserve not less than five per cent seats persons with benchmark disabilities.
> (2) The persons with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of years for admission in institutions of higher education.

2– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उक्त प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्या अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं समस्त राजकीय एवं राज्य सर द्वारा सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत से अनाधिक आरक्षित किये जाने तथा ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 66–क के अन्तर्गत र सरकार को प्राप्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये निर्गत किया जा रहा है। अतः दिव्यांगजन अधिकार अधिनि 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49 सन् 2016) की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के प्राविधानों का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(डॉ0 अमित भारद्वाज)
संयुक्त सचिव

संख्या– 644 (1)/सत्तर–1–2019 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राजभवन, लखनऊ।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(4) अपर सचिव,उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(6) गार्ड फाइल।

email
11.7.19

आज्ञा से,
(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।